

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 30.05.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-19 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रामतेज शिल्पकार पुत्र गन्ने निरो फत्तेगढ थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-146/21, 02. रामजी पुत्र मंगल प्रसाद निरो पम्पापुरवा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-147/21, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना कौड़िया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रोहित कुमार उर्फ मुन्ना पुत्र स्वरो हरिश्चन्द्र निरो महेश पुरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-80/21, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. माना पुत्र झूडे निरो खुसलीपुरवा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-198/21, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राजेश पुत्र रामप्रसाद गौतम निरो वीरपुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-171/21, 02. श्रीपाल पुत्र रामधीरज निवासी नरायनपुर कला थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-172/21, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. मोहन पुत्र बच्चू सोनकर निवासी सोहनी थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-178/21, 02. विजय पुत्र बाबूराम निवासी खिरिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-179/21, 03. पाटनदीन पुत्र रामफेर निवासी कर्दा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-180/21, 04. रवि यादव पुत्र बासुदेव यादव निवासी पहली थाना नबाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0-181/21, धारा 60/60(2) आबकारी अधिरो, 05. रामभवन पुत्र अमर सिंह निवासी चढ़ौवा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे

से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–182 / 21, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

06. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. विशाल पुत्र शिव चन्द्र निरो बनगांव थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–139 / 21, 02. विनोद कुमार पुत्र रामलुटावन निरो चांदपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–140 / 21, 03. रामकुमार पुत्र बुधराम निरो बादलपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–141 / 21, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

07. थाना को0 देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. सावित्री पत्नी पेशकार सोनकर निरो भदवा सोमवंशी थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–212 / 21, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

08. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रमेश निषाद पुत्र रामदेव निरो मल्लाहन पुरवा दुल्लापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–147 / 21, 02. सन्तराम पुत्र बिरजू निरो नवडिहवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–148 / 21, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

09. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. श्रीमती रजवन्ता पत्नी शोभाराम निरो नयनजोत थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–148 / 21, 02. श्यामू पुत्र दिलजान निरो भवाजीतपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–158 / 21, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

10. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. सुशीला पत्नी बडकउ निरो बगिया थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0–110 / 21, 02. राजपति पत्नी स्व0 हेमराज निरो सरजूपुरवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0–111 / 21, धारा 60 / 60(2) आबकारी अधिरो, 03. मिनकादेवी पत्नी स्व0 झिनकन निरो बगिया गढ़ी थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 08 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–112 / 21, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

11. थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. संदीप निषाद पुत्र सहदेव निरो ऐली परसौली थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–85 / 21, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

12. थाना को0 नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. मकसूद पुत्र मुसीबत निरो मेवतियान थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–401 / 21, 02. सुरेन्द्र सोनकर पुत्र गंगाराम निरो

रानीपुरवा थाना को० नगर जनपद गोणडा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-४०३/२१, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

13. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. नीरज पुत्र बडकउ नि० करमडीह थाना धानेपुर जनपद गोणडा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-१३७/२१, 02. आरती देवी पत्नी शिवराज नि० पचपुरवा थाना धानेपुर जनपद गोणडा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-१३८/२१, 03. गोली चमरमंगता पुत्र रंगे नि० ग्राम जमुनही थाना धानेपुर जनपद गोणडा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-१३९/२१, 04. आज्ञाराम पुत्र राम लोटन कुम्हार नि० ग्राम मेहनौन थाना धानेपुर जनपद गोणडा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-१४०/२१, 05. अवतारी पत्नी धनीराम बरुवार ग्राम दुल्हापुर थाना धानेपुर जनपद गोणडा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-१४१/२१ धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 30.05.2021

चोरी की योजना बनाते समय 03 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी का समान व अवैध मादक पदार्थ बरामद –

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत चोरोध्यांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कडे निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० नगर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान चोरी की योजना बनाते समय 03 नफर अभियुक्तों को सरकुलर रोड बुधईपुरवा मोड के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 320 ग्राम अवैध चरस, 92 टेबलेट अल्पाजोलम तथा चोरी के मुकदमो से संबंधित 09 अदद पायल, 09 अदद बिछिया सफेद धातु व चोरी करने के उपकरण बरामद किया गया। अभियुक्तों को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. राजू उर्फ दस ट्यरा पुत्र शरीफ नि० नई बस्ती महराजगंज थाना को० नगर जनपद गोण्डा।
02. टेनी उर्फ सोनू पुत्र मुन्ना नि० मुन्नन खॉ चौराहा थाना को० नगर जनपद गोण्डा।
03. परवेज पुत्र लिल्लाही थाना कासीराम कालोनी थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-४०४/२१, धारा 401,411 भादवि थाना को० नगर जनपद गोण्डा।
02. मु०अ०सं०-४०५/२१, धारा ८/२० एन०डी०पी०एस० एकट थाना को० नगर जनपद गोण्डा।
03. मु०अ०सं०-४०६/२१, धारा ८/२० एन०डी०पी०एस० एकट थाना को० नगर जनपद गोण्डा।
04. मु०अ०सं०-४०७/२१, धारा ८/२२ एन०डी०पी०एस० एकट थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग—

01. मु०अ०सं०-९२३/२०, धारा 457,380 भादवि थाना को० नगर जनपद गोण्डा।
02. मु०अ०सं०-२४३/२१, धारा 457,380 भादवि थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० कृष्ण कुमार सिंह।
02. उ०नि० गोपाल सिंह।
03. उ०नि० मुकेश पाण्डेय।
04. उ०नि० सरफराज खान मय टीम।